न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 128 / 2024

प्रार्थीगण :—

1. नारायणराम पुत्र स्व. सोनाराम
2. पूनाराम पुत्र स्व. सोनाराम जातियान बावरी निवासीगण चौकीदारों का बास ग्राम रामपुरिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा
2. केसाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 1—सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांक** 2/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बंध जसवन्तसागर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 20 / 1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर आई हुई है, जो प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है। राजस्व ग्राम बंध जसवन्तसागर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 20 रकबा 0.6796 हैक्टेयर आई हुई है, जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 20 / 1 के उतर दिशा में स्थित है। खसरा संख्या 20 व 20 / 1 के मूल खसरा संख्या 20 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा था। जो पूर्व में राज्य सरकार के नाम दर्ज थी। खसरा संख्या 20 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि मंगलाराम पुत्र पुकाराम कौम मेघवाल को आवंटित की गयी तथा आवंटन के आधार पर म्यूटेशन संख्या 277 दर्ज किया गया, शेष रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटित की गयी तथा आवंटन के आधार पर म्यूटेशन संख्या 276 दर्ज किया गया। मंगलाराम पुत्र पुकाराम कौम मेघवाल द्वारा खसरा संख्या 20 रकबा 10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 07.06.1995 को प्रार्थीगण को बैचान कर दी तथा बैचाननामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 807 स्वीकृत किया गया तथा खरीदसुदा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 में प्रथम बार प्रार्थीगण के नाम दर्ज की गयी। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 07.06.1995 में मंगलाराम द्वारा प्रार्थीगण को बैचान की गयी उक्त भूमि के पडौस उतर में केसाराम मेघवाल की जमीन, दक्षिण में गणेशराम व चूनाराम बावरी की जमीन, पूर्व में पोकरराम बावरी की जमीन व पश्चिम में शेरसिंह राजपूत की जमीन होना लिखा है। मंगलाराम द्वारा जब प्रार्थीगण को उक्त भूमि का बैचान किया उस समय बैचानसुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 20 / 1 थे तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि के खसरा नम्बर 20 / 1 है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की आवंटनसुदा भूमि के खसरा संख्या शुरू से लेकर आज दिन तक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में 20 है। अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा संख्या 20 प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 20/1 के उतर दिशा में स्थित है तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 07.06.1995 में भी अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 20, खसरा संख्या 20/1 के उतर दिशा में स्थित होना लिखा है। मौके पर भी अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा संख्या 20 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 20/1 के उतर दिशा में स्थित है। हाल ही में सेग्रीगेशन के दौरान खसरा संख्या 20 व 20/1 की ऑनलाईन नक्शे मे हल्का पटवारी द्वारा तरमीम की गयी जो तरमीम खसरा संख्या 20 व 20/1 की बिना मौके की जॉच किये की गयी जो गलत की गयी। ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 20/1 की तरमीम अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 20 के स्थान पर की गयी तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 20 की तरमीम प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 20/1 के स्थान पर की गयी। इसलिए ऑनलाईन नक्शे में उपरोक्त अनुसार की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार शुद्ध किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। खसरा संख्या 20 व 20/1 की भूमि राजस्व ग्राम बंध जसवन्तसागर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बंध जसवन्तसागर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 20 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 20/1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार शुद्ध/दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 16.10.2024 को अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 20/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर राजस्व ग्राम बन्ध जसवंतसागर में आई हुई है। अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 21 रकबा 0.6796 हैक्टयर आई हुई है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं. 20/1 की उतर दिशा में स्थित है। सेग्रीगेशन के तहत ऑनलाईन तरमीम करते समय कब्जे के विपरीत तरमीम कर दी गई है। जहां खसरा नंबर 20 होना चाहिए वहां 20/1 की तरमीम व जहां 20/1 की तरमीम होनी चाहिए वहां खसरा नंबर 20 की तरमीम कर दी गई है। पटवारी हल्का पिचियाक द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार खसरा नंबर 20 रकबा 0.6796 हैक्टयर, खसरा 20/1 के उतर दिशा में स्थित है। तथा खसरा नंबर 20/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर खसरा नंबर 20 के दक्षिण दिशा में स्थित है। तथा इसी अनुसार मौके पर खातेदारान का कब्जा काश्त है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बंध जसवंतसागर तहसील बिलाडा में स्थित खसरा नंबर 20 रकबा 0.6796 हैक्टयर, खसरा नंबर 20/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर की ऑनलाईन नक्शे मे की गई गलत

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तरमीम के स्थान सही तरमीम पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द एवं नजरी नक्शे अनुसार शुद्ध/दुरूस्त किये जाने में भूमिधारी की सहमति है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम बंध जसवंतसागर तहसील बिलाडा के खसरा सं. 20/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है, रजिस्टर्ड बैचाननामा में भी खसरा नंबर 20 जो खातेदार केसाराम मेघवाल की जमीन है उसको खसरा नंबर 20/1 के पडौस में उतर दिशा में दर्शाया गया है। हल्का पटवारी पिचियाक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 04.10.2024 के अनुसार खसरा नंबर 20, खसरा नंबर 20/1 के उतर दिशा में स्थित है तथा खसरा नंबर 20/1, खसरा नंबर 20 के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा इसी अनुसार मौके पर खातेदारान का कब्जा काश्त है। लेकिन सेग्रीगेशन के तहत ऑनलाईन तरमीम करते समय कब्जे के विपरीत तरमीम कर दी गई है। जहां खसरा नंबर 20 होना चाहिए वहां 20/1 की तरमीम व जहां खसरा नंबर 20/1 की तरमीम होनी चाहिए वहां खसरा नंबर 20 की तरमीम कर दी गई है। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है तथा अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार ने भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बंध जसवंतसागर तहसील बिलाडा के खसरा सं. 20 रकबा 0.6796 हैक्टयर, खसरा सं. 20/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर की तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट 04/10/2024 में वर्णितानुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 04/10/2024 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 2/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा